न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– श्री पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 95/2011 धारा 3 जी(5)रा0रा0अ0
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन इकाई एन0एच011 पी0आई0यू0 जयपुर (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा
2. मांगीलाल पुत्र नत्था जाति बैरवा निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड दिनांक 16.05.2011 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01

उपस्थिति–1. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः 22.12.2021

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), महवा द्वारा पारित अवार्ड आदेश दिनांक 16.05.2011 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जॉच व टिप्पणी मंगवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की लिखित बहस में दलील है कि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यापक लोकहित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के भरतपुर महवा खंड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्त करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को प्राधिकृत किया गया था। अवाप्त की जाने वाली भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम अधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों मे दिनांक 31.10.2009 एवं 1.11.2009 को अधिसूचना प्रकाशित की गई। धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 23.6.2009 को जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई, उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 ए अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 73 वाके ग्राम अलापुर की प्रकृति बारानी अंकित थी, के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। 03 ए अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आपत्तियां के निस्तारण के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा 3 डी के अंतर्गत

अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 9.4.2010 को अधिसूचना जारी की गई। सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट जो कि राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी, के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गई, उक्त अधिसूचना में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 73 की प्रकृति बारानी अंकित थी। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आराजीयात के अवाप्तशुदा रकबा 500 वर्गमीटर में से 100 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित कर दिया। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड आदेश सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर था। 3 डी अधिसूचना के बाद सक्षम अधिकारी को भूमि की प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित दर के आधार पर ही मुआवजा राशि निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बारानी किस्म की भूमि का मुआवजा आवासीय दर के आधार पर किया गया है, जिसको परिवर्तित करने का कोई अधिकार सक्षम अधिकारी को नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को गलत तरीके से फायदा पहुँचाने के उदेश्य से विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध नोन स्पीकिंग अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र वर्णित अवाप्त भूमि का अवार्ड अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को न तो कोई नोटिस दिया, ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के पूर्णतया विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वह भाग जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी आधार के किस्म बारानी का आवासीय दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 16.5.2011 का वह भाग जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में 500 वर्गमीटर अवाप्त भूमि में से निराधार 100 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर से पारित अवार्ड आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी का मुआवजा भूमि की किस्म बारानी की दर से निर्धारित किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 02 को दिये गये अधिक भुगतान प्रार्थी को वापस दिलवाने के आदेश प्रदान करावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी संख्या 01 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक:724 दिनांक 09.04.2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एन0एच011 के भरतपुर महवा खंड के चारलेनीकरण के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया था। भूमि अवाप्ति प्रकिया के तहत दिनांक 23.06.2009 को भारत के राजपत्र मे 3 ए की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसका दो समाचार पत्रों में दिनांक 1.10.2009 को दैनिक भास्कर में व दिनांक 31.10.2009 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशन करवाया गया। उक्त अधिसूचना मे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 73 वाके ग्राम अलापुर में से 380 वर्गमीटर भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना जारी हुई थी। उक्त अधिसूचना के वक्त राजस्व रेकार्ड में भूमि की प्रकृति बारानी दर्ज थी। भूमि अवाप्ति प्रकिया के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस की अवधि में कोई आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवाप्ति की अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 23.6.2008 को प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 1.10.2009 को दैनिक भास्कर में व दिनांक 31.10.2009 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशन करवाया गया था। भूमि अवाप्ति प्रकिया के अंतर्गत घोषणा प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र

सरकार में निहित हो जाती है। यदि हितबद्धधारी मुआवजे से असंतुष्ट है तो भूमि अधिग्रहण नियमों/प्रावधानों के अनुसार संबंधित हितबद्धधारी मुआवजे के संबध में सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है। अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा तत्कालीन सक्षम अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रार्थी की आपत्ति के निस्तारण के उपरांत जारी किया गया है। अवाप्त भूमि की किस्म तत्समय राजस्व रेकार्ड में बारानी दर्ज थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं उसके साथ भूमि रूपांतरण आदेश की प्रति पेश की गई, जिसके आधार पर उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाकर एवं मौके की स्थिति के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा तय किया गया जो डी.एल.सी.दर के अनुसार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर तहसीलदार/पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट ली जाकर आपत्ति का निस्तारण किया गया तथा बाद आपत्ति निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में दलील दी है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को आपत्ति पर सुनवाई का अवसर दिया गया । सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 02 ने भूमि संपरिवर्तन आदेश की प्रति पेश की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की आपत्ति स्वीकार की जाकर खसरा नंबर 73 वाके ग्राम अलापुर में से 100 वर्गगीटर भूमि का अवार्ड आवासीय दर से पारित किया गया है। भूमि संपरिवर्तित भूमि थी, जिसका नियमानुसार तत्समय प्रचलित डी.एल.सी.की आवासीय दर से अवार्ड पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। हम अप्रार्थी संख्या 02 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 9.4.2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम अलापुर स्थित भूमि ख0नं0 73 में से 500 वर्गमीटर भूमि खातेदार मांगीलाल पुत्र नत्था बैरवा निवासी समलेटी की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हेतु अवाप्त की गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा संशोधित अवार्ड पारित कर खातेदार को 400 वर्ग मीटर भूमि का अवार्ड कृषि भूमि की प्रचलित दर से एवं 100 वर्गमीटर भूमि की आवासीय दर से पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि धारा 3 ए की अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 73 वके ग्राम अलापुर की किस्म बारानी दर्ज थी, के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा भूमि के आवासीय होने बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। धारा 3 डी के तहत जारी अधिसूचना में भी वादग्रस्त भूमि की किस्म बारानी ही थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आपत्तिकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति के आधार पर तहसीलदार महवा/पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट ली जाकर आपत्ति का निस्तारण किया गया। खातेदार द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई के दौरान संपरिवर्तन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा ग्राम अलापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 73 में से 100 वर्गमीटर भूमि का तत्समय प्रचलित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवासीय दर से अवार्ड पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड आदेशविधिवत रूप से खातेदार की आपत्ति के निस्तारण के बाद जारी किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड दिनांक 16.05.2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official